

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1961 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

076 बयाना (अजा) विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र से राजस्थान राज्य की विधानसभा का निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में मैं घोषणा करता हूँ कि:-

श्री अमर सिंह ग्राम बसई तहसील रूपवास जो इंडियन नेशनल कॉंग्रेस द्वारा खड़े किये गये।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान:- भरतपुर

तारीख:- 11.12.2018



(जगदीश आर्य)
रिटर्निंग ऑफिसर
Returning Officer
विधानसभा क्षेत्र 076 बयाना
Assembly Constituency Bayana (076)

Conduct of Elections Rules 1961
(Statutory Rules and Order)
FORM 21 C
(See Rules 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act. 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from (076) Bayana (SC) Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Mr. Amar Singh Sponsored by **Indian National Congress** has been elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place – Bharatpur
Date – 11-12-2018


(Jagdish Arya)
Returning Officer(SDM)
Assembly Constituency (076) Bayana